संख्या-582/xxxi(15)G/22-49(सा0)/2020

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 17 मई, 2022**

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत विभागीय मैनुअलों को प्रति वर्ष अद्यतन किये जाने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 497 दिनांक 19 अप्रैल 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 बिन्दु के मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4 (2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से विभागों द्वारा 17 बिन्दु मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण की कार्यवाही माह अप्रैल से जून 2022 तक पूर्ण कर मैनुअलों की हॉर्ड एवं सॉफ्ट प्रतियां उत्तराखण्ड सूचना आयोग को विलम्बतया 15 जुलाई तक उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 बिन्दु के मैनुअलों का प्रतिवर्ष, वार्षिक अद्यावधिकरण 30 जून तक प्रत्येक दशा में किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4 (2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को जनसामान्य की पहुंच तक सहज बनाने हेतु अपने-अपने नियंत्रणाधीन विभागों में वेबसाइट पर सूचनाऐं अद्यतन कराते हुए मैनुअलों की हॉर्ड एवं सॉफ्ट प्रतियाँ प्रत्येक दशा में 15 जुलाई 2022 तक उत्तराखण्ड सूचना अयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मैनुअलों तक जन सामान्य की पहुंच को सहज बनाए जाने हेतु मा0 सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।